छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010
(अग्रहायण-17, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों को बोनस, दवाई खरीदी, धान खरीदी में भ्रष्टाचार के संबंध में उल्लेख किया गया। माननीय अध्यक्ष ने नियम प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्नसंख्या 01 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती अंबिका मरकाम अनुपस्थित थी। प्रश्न संख्या 02 एवं 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू एवं श्री ह्दयराम राठिया ने उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किए ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए पर्चे लहराए गए।

2. व्यवस्था
सदन में नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं एवं नियमों के विपरीत है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सभा में नारेबाजी करना संसदीय परम्पराओं एवं नियमों के विपरीत है। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन की मर्यादा को बनाये रखें और सदन की कार्यवाही चलाने में आप सहयोग प्रदान करें। आप यह जो पोस्टर लहरा रहे हैं उसको लहराना बंद कर दें।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.09 बजे स्थगित की जाकर 11.30 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा किसानों के शोषण एवं किसानों के साथ किए गए वायदे का उल्लेख किया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रश्न संख्या 04 से 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री अमरजीत भगत, रामदेव राम, ताम्रध्वज साहू ने उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किए। प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री सौरभ सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। अत्यधिक नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 11.35 बजे से 12.00 बजे तक स्थगित की गई। 12.06 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री अमितेष शुक्ल, सदस्य द्वारा देवभोग क्षेत्र में एक किसान की मौत संबंधी उल्लेख किया गया। श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा धान पर बोनस देने की बात कही गयी। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराए गए।

4.पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, पटल पर रखा।

5.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री रविन्द्र चौबे एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की लगभग 30 सूचनाऐं मुझे आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें "चुनावी घोषणा-पत्र" "विधान सभा चुनाव-2008" में धान खरीदी पर 270 रूपये बोनस समर्थन मूल्य अतिरिक्त देने की घोषणा के साथ घोषणा-पत्र के अन्य बिन्दुओं की पूर्ति नहीं करने को आधार बनाया है। इसके साथ ही बारदाना खरीदी, नमी मापक यंत्र, हाईब्रीड बीज, सड़क, पुल-पुलिया, गोदाम निर्माण नहीं करने जैसे मण्डी, बीज निगम आदि से संबंधित मामलों का भी उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव में तथाकथित रूप से किसी किसान द्वारा आत्महत्या का भी उल्लेख किया है।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसे स्थगन प्रस्ताव को मैं कैसे विचार में लूं? स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं केवल उनका ध्यान छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के "अध्याय-9 स्थगन प्रस्ताव" में उल्लेखित निम्नलिखित नियमों की ओर ही आकर्षित कर सकता हूं।

नियम 53 - उन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगत करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा।

नियम 55(2) - एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी,

नियम 55(3) - प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।

नियम 55(8) - प्रस्ताव में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सचिव को लिखित सूचना देकर अलग आम प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है।

मैं यह प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2008 के विधान सभा चुनाव घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं की पूर्ति नहीं होने के साथ अनेकों विषय, घटनाओं के आधार पर क्या स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है? या मैं तो यह भी कहूंगा कि क्या ऐसे विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत भी किया जा सकता है?

वस्तुतः स्थगन प्रस्ताव अंतः सत्रकाल की अवधि में ऐसी घटना या सरकार की कोई ऐसी चूक, किसी प्रकार की नीतिगत असफलता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार की चूक, नीतिगत विफलता आदि के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उद्देश्यों की महत्ता एवं इस सभा की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें और सभा की कार्यवाही चलाने में मुझे सहयोग करें।

यदि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह निर्णय ले ही लिया है कि वे सभा की कार्यवाही चलाना नहीं चाहते तो उनके इस राजनीतिक निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। किन्तु यह अवश्य उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि सभा में संसदीय कार्यों के संपादन पर राजनीतिक कार्य हावी न हो पाये। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (उपस्थित रह कर भी सूचना नहीं पढ़ी गई)

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य (अनुपस्थित)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री भोलाराम साहू

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

(5) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(6) श्री नंदकुमार पटेल

(7) श्री मोहम्मद अकबर

(8) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(9) श्री परेश बागबाहरा

(10) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(11) श्री राजकमल सिंघानिया

(12) श्री दूजराम बौद्ध

(13) श्री शिवराज सिंह उसारे

(14) श्री लेखराम साहू

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-64, दुर्ग शहर के सदस्य श्री हेमचंद यादव द्वारा दिसम्बर, 2010 सत्र में दिनांक 6/12/2010 से दिनांक 10/12/2010 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राजकमल सिंघानिया

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(3) श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स

10. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से द्वितीय अनुपूरक की मांगों पर चर्चा में भाग लेने एवं दल के सदस्यों के नामों की पर्ची देने का आग्रह किया, जिससे मैं माननीय सदस्यों के नाम चर्चा हेतु पुकार सकूं।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार तैंतीस करोड़, बहत्तर लाख, उनसठ हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री फूलचंद सिंह।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक-29 सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक-29 सन् 2010) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक-29 सन् 2010) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

व्यवधान के कारण अपराह्न 12.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 9 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 18, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा